SHRI N. DENNIS : The Kanyakumari district of Tamil Nadu is classified as an industrially backward district, but not even a single industry, either in the public sector or in the private sector, has been established there though there are ample scope and possibilities and also infrastructural facilities for the establishment of rubber-based industries and also titanium industry. The per unit production of rubber there is the highest in the country. Qualitatively also it occupies the highest place. Similarly black illminite to the extent of 50,000 tonnes annually is exported to foreign countries where it is converted into costly titanium dioxide. So, may I know from the Hon. Minister whether the Government would come forward to establish rubber-based industries and titanium industry in the industrially backward districts ? I have repeatedly brought this matter to the notice of the Government. It is noticed that the *tempo* of implementation goes down and down in consonance with the distance it travels, and when it reaches a distant place like Kanyakumari, it subsides and there is nothing to implement. So, may I know from the Hon. Minister whether Government would consider this aspect of neglect and take steps for setting up industrial establishments in such distant backward places thereby translating into action the intention of the Government of decentralisation ?

SHRI CHARANJIT CHANANA: As far as the process of industrialisation for the industrially backward areas is concerned, the two areas identified by the State Government would be taken up first. By that, it does not mean that Kanyakumari will be ignored at all. I have already, in response to the Hon. Member's letter, written to him that we will do all that is required to be done for promoting industry which is local-raw-material based — as he has said, rubber, etc.; we will do all that.

Child Labour

*1077. SHRIMATI USHA PRAKASH CHAUDHARI ; Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether a survey has been made about children below 15 years who are forced to take up employment ;

(b) if so, the results of that survey ; and

(c) the steps contemplated by Government to prevent employment of child labour?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) Yes, Sir.

(b) Based on National Sample Survey, the number of working children as on March, 1978, was estimated at 16.25 million. The Labour Bureau also conducted a rapid survey on Child Labour in 1979 in selected organised industries under the Factories Act, 1948 and in Plantation Labour Act, 1951 and also in unorganised industry. It was observed that a majority of working children come from very poor families and work to supplement the earnings of the family. They are also generally compelled to discontinue their studies.

(c) Government had appointed a Committee on Child Labour in February, 1979 to look into the problems arising out of employment of children. The Committee submitted its report in December, 1979 In pursuance of the decision of Government on the recommendations of that Committee, a Central Advisory Board on Child Labour has been constituted with the Minister for Planning and Labour as Chairman, to recommend the industries and areas where there must be progressive elimination of working children.

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार को पूरी जानकारी है कि किस-किस उद्योग में बच्चों को काम पर लगाया जाता है और उन बच्चों को कितने घंटे काम करना पड़ता है और उनके वेतन के लिए कानून में क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : लेबर ब्यूरो के सर्वे के अनुसार चाय-बागान, कैश्यू प्रोसेसिंग, बीड़ी उद्योग, फिशिंग, मैच बाक्स, हैण्डलूम, होटल, रेस्टोरेंट, रिपेयर शाप्स आदि जगहों पर बालक मजदूरों को लगाया जाता है और खेती कार्य में भी लगाया जाता है। इनकी अधिक संख्या शहरों से ज्यादा देहातों की तरफ है। जहां तक वर्किंग आवर्स का सवाल है, फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक साढ़े चार घंटे बालक मजदूरों से काम लिया जा सकता है और प्लांटेशन एक्ट के अनुसार 40 घंटे एक सप्ताह में काम लिया जा सकता है। लेकिन लेबर ब्यूरो ने जो सर्वे किया है, उसके अनुसार बालक मजदूरों को प्लांटेशन में 40 घंटे प्रति सप्ताह से ज्यादा काम करते हुए देखा गया है और कारखानों में भी उन्हें 6—8 घंटे तक काम करते हुए देखा गया है।

जहां तक उनकी मजदूरी का सवाल है, बालक मजदूरों को चाय बागान में 99 पैसे से लेकर 3.05 रुपए तक प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। गुड़ मेकिंग फैक्ट्रीज में तमिलनाडु में बालक मजदूरों को 1.22 रुपए से लेकर 5—7 रुपए प्रतिदिन तक मजदूरी दी जाती है। केरल में बीडिंग, प्लकिंग, मेन्युरिंग आदि में जो बच्चे काम करते हैं उनको 4.80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। तमिलनाडु में 4.86 रुपए की दर से प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है और आसाम तथा वेस्ट बंगाल में उनको 2.95 रुपए से लेकर 3.34 रुपए तक प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : आपने सब स्टेट्स का और सब विभागों का ब्योरा दे दिया है। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूं कि इन श्रमिक बच्चों का शोषण होते हुए हम देखते हैं, जो उद्योगपति, शोषक लोग इन बच्चों पर अन्याय करते हैं, उनके लिए आपने कुछ करने के बारे में सोचा है या नहीं ? खास तौर पर मिलों में और खदानों में काम करने वाले और होटलों में काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आपने कुछ तय किया है या नहीं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक हमारे संविधान के आर्टिकल 24 का सम्बन्ध है, उसमें लिखा है—

"No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment."

आर्टिकल 39 के मुताबिक "The health and strength of workers, men, women and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength."

उनके प्रोटेक्शन के लिये विभिन्न एक्ट बने हुए हैं, जैसे—

(i) The Children (Pledging of Labour) Act, 1933, (ii) The Employment of Children Act, 1938,

(iii) The minimum Wages Act, 1948, (iv) The Factories Act, 1948, (v) The Plantations Labour Act, 1951, (vi) The Mines Act, 1952, (vii) The Merchant Shipping Act, 1958, (viii) The Motor Transport Workers Act, 1962, (ix) The Apprentices Act, 1961, (x) The Atomic Energy Act, 1962, (xi) The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, (xii) The Shops and Commercial Establishments Act in various States.

यह तमाम नियम उनके हितों के लिये हैं और उनकी वेजेज़ को देखा जाता है।

"The minimum age for employment which ranges from 12 to 18, (b) limitation of hours of work, (c) prohibition of night work and (d) prohibition of employment of children in hazardous occupations."

अध्यक्ष महोदय : इनका अर्थ क्या है ? यह लागू भी होते हैं कि नहीं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जो ऐक्ट बने हैं वह लागू होते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है, बल्कि श्री सत्यनारायण जटिया को अलाऊ किया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, बावजूद संवैधानिक निषेध के बालक श्रमिक काम करते हैं और अपनी पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनको काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। बालक श्रमिक से पूरा काम भी लिया जाता है, इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि जब उनसे पूरा काम लिया जाता है तो पूरा वेतन और संरक्षण देने के बारे में कोई नियम या कानून बनाया जायेगा जिससे पूरा वेतन उनको मिल सके ?

अध्यक्ष महोदय : प्रावधान तो है, उसको लागू किया जायेगा कि नहीं यह पूछिये।

श्री सत्यनारायण जटिया : हां, यही पूछना चाहता हूँ कि कानून को लागू किया जायेगा कि नहीं, उनको पूरा वेतन दिया जायेगा कि नहीं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : अध्यक्ष जी, इन तमाम प्रावधानों के बावजूद भी देखा यह गया है कि उससे उनको अधिक फायदा नहीं हो सका है, उनकी सुरक्षा नहीं हो सकी है, उनके वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी। इसलिये एक सेन्ट्रल लेबर एडवाइज़री बोर्ड का गठन हुआ है जिसकी 31 मार्च, 1981 को पहली मीटिंग हुई और वह एडवाइज़री बोर्ड 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है जो जगह जगह जा कर के इन तमाम आस्पेक्ट्स को देखेगा और उसके बाद शीघ्रता से अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद सरकार द्वारा विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय : टारगेट कोई मुकर्रर है कि नहीं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैंने कहा कि शीघ्रता से रिपोर्ट देगा।

Fire in Army Headquarters, Simla

*1078. SHRI B.V. DESAI :
SHRI M.V. CHANDRA SHEKARA MURTHY

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Army Head Quarters in Simla were set on fire by Saboteurs on 11th April, 1981 ;